प्रेस नोट दिनांक 28.11.2025

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही—सरकारी अभिलेख क्षतिग्रस्त करने वाला आरोपी विस्फोटक के साथ गिरफ्तार

थाना कंधई पुलिस की बड़ी सफलता—मारपीट व धमकी प्रकरण में वांछित अभियुक्त विस्फोटक सामग्री सहित गिरफ्तार
SIR फॉर्म विवाद में सरकारी दस्तावेज क्षतिग्रस्त करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी—चार सुतली बम बरामद
शांति-व्यवस्था भंग करने के प्रयास पर कसा शिकंजा—अभियुक्त फैज मोहम्मद गिरफ्तार, सुतली बम बरामद
अभियुक्त के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, छेड़खानी, मारपीट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं में अनेक अभियोग पंजीकृत हैं-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में कानून एवं शांति-व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में बाधा डालने वाले तत्वों के विरुद्ध सतर्कता एवं कठोरता के साथ कार्रवाई की जा रही है।

प्रतापगढ़।
दिनांक 26.11.2025 को वादी द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार ग्राम ताला निवासी फैज मोहम्मद पुत्र शेर मोहम्मद प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर SIR फॉर्म भरने को लेकर विवाद करने लगा तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए सरकारी अभिलेखों को क्षतिग्रस्त कर दिया। विरोध करने पर उसने वादी के साथ मारपीट कर चोटें पहुँचाई और गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।

उक्त प्रकरण में थाना कंधई पर मु0अ0सं0 283/2025 धारा 121(1), 132, 352, 351(2), 324 बीएनएस बनाम नामजद अभियुक्त फैज मोहम्मद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में थाना कंधई के उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का0 कपिल,

का0 सलमान, हे0का0 ऋषिकेश तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत दीवानगंज मंगरौरा रोड से भटान बस्ती मोड ग्राम कांपाहारी के पास से मु0अ0सं0 283/2025 धारा 121(1), 132, 352, 351(2), 324 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त फैज मोहम्मद सुत शेर मोहम्मद निवासी ग्राम ताला लेख्या थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष को 04 अदद नाजायज देशी सुतली बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद नाजायज देशी सुतली बम के संबंध में थाना कंधई में मु0अ0सं0 286/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. फैज मोहम्मद सुत शेर मोहम्मद निवासी ग्राम ताला लेख्या थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 451/2016 धारा 376,504 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 366/21 धारा 354,504,506 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 283/2025 धारा 121(1), 132, 352, 351(2), 324 बीएनएस थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 286/2025 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
04 अदद नाजायज देशी सुतली बम बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का0 कपिल, का0 सलमान, हे0का0 ऋषिकेश तिवारी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन संबंधी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने, सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता अथवा किसी भी प्रकार की अवैध एवं आपराधिक हरकत करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं

किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा अपहरण/ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अमित पटेल को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत बारौं गेट के पास से किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 देवी दयाल वर्मा व उ0नि0 राहुल मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वाछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 87/137(2)/64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अमित पटेल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पटेल उम्र करीब 22 वर्ष नि0 ग्राम पटवारा मजरे बारौं थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत बारौं गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अमित पटेल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद पटेल उम्र करीब 22 वर्षनि0 ग्राम पटवारा मजरे बारौं थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 देवी दयाल वर्मा व उ0नि0 राहुल मय हमराह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त भोला गौड़ को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक यादव मय हमराह का0 जगदीश प्रसाद, म0का0 दिव्या चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(1)/137(2)/87/351(3) बीएनएस व पाक्सो एक्ट थाना दिलीपपुर, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त भोला गौड पुत्र मुन्नालाल गौड ग्राम सिपाह महेरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ को शिवसत पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. भोला गौड पुत्र मुन्नालाल गौड ग्राम सिपाह महेरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विवेक यादव मय हमराह का0 जगदीश प्रसाद, म0का0 दिव्या चौहान थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्त/अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

अभियुक्त/अभियुक्ता को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खानीपुर घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी की पुत्री का विवाह संदीप निवासी खानीपुर थाना उदयपुर से हुआ था। विवाह के बाद संदीप व उसके परिजन बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर वादिनी की पुत्री को प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 23.11.2025 की रात ससुरालीजनों ने उसकी गंभीर पिटाई की, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ गई। 24.11.2025 को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में दिनांक 28.11.2025 वादिनी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 178/25 धारा 80/85/61(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट में पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 रामबली चौहान मय हमराह का0 कृष्ण कुमार, का0 राहुल प्रताप सिंह, म0का0 शिखा गौतम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 178/2025 धारा 80/85/61(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 04 अभियुक्त/अभियुक्ता 1. दूधनाथ पुत्र गुरुदीन उम्र करीब 48 वर्ष, 2. कुलदीप पुत्र दूधनाथ उम्र करीब 22 वर्ष, 3. संदीप पुत्र दूधनाथ उम्र करीब 25 वर्ष, 4. धनपती पत्नी दूधनाथ उम्र करीब 45 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खानीपुर घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

1. दूधनाथ पुत्र गुरुदीन उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. कुलदीप पुत्र दूधनाथ उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
3. संदीप पुत्र दूधनाथ उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
4. धनपती पत्नी दूधनाथ उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रामबली चौहान मय हमराह का0 कृष्ण कुमार, का0 राहुल प्रताप सिंह, म0का0 शिखा गौतम थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, लूट के कुल 2100/- रुपये बरामद-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा लूट के कुल 2100/- रुपये के साथ 02 अभियुक्तों, अंकित सिंह व अभिषेक सिंह को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत पिपरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.09.2025 को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम द्वारिकापुर में 01 व्यक्ति से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पैसे व मोबाइल छीनकर भाग गये। उक्त प्रकरण में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 157/25 धारा 309(4) बीएनएस बनाम 04 व्यक्ति नाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह हे0का0 आनन्द तिवारी, का0 स्वामीनाथ द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत नौहर पुल के पास से मु0अ0सं0 157/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों 1.अंकित सिंह पुत्र रामआसरे सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 2.अभिषेक सिंह पुत्र सुनील सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र 20 वर्ष को लूट के कुल 2100/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 16.09.2025 को समय करीब 2.30 बजे मै अपने अन्य 03 साथियों मिलकर द्वारिकापुर बाग मे एक व्यक्ति से 20,000/ रू व मोबाइल छीन कर मोटर साइकिल से भाग गये थे। लूट के पैसे के बारे में पूछा गया तो अंकित ने बताया कि मेरे हिस्से में 5000 रु० आया था जिसमें से मैने 3900 रु0 खर्च कर दिये थे शेष 1100 रु0 बरामद हुआ है यह लूटे हुये पैसे में से शेष पैसा है तथा अभिषेक सिंह से लूट के पैसे के बारे में पूछा गया तो बताया कि मेरे भी हिस्से में 5000 रु0 आया था जिसमें से मैने 4000 रु0 खर्च कर दिये थे शेष 1000 रु0 बरामद हुआ है, यह लूटे हुये पैसे में से शेष पैसा है। तथा लूटी गयी मोबाइल को मैने अपने साथी को राह चलते हुए अज्ञात व्यक्ति को औने पौने दाम मे बेच दिया था। लूट की घटना के बाद हम चारो भाग गये थे तथा अपने दोस्तों के पकडे जाने की हम लोगो को जानकारी होने पर हम लोग भी भाग गये थे पुलिस हम लोगो कि तलाश कर रही थी आज हम दोनो रोड़ पर खडे होकर साधन का इन्तेजार कर रहे थे। कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.अंकित सिंह पुत्र रामआसरे सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

2.अभिषेक सिंह पुत्र सुनील सिंह निवासी ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी-
लूट का 2100/- रुपये बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह हे0का0 आनन्द तिवारी, का0 स्वामीनाथ थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में पट्टी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्ता को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पेन्डरा उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 27.11.25 को शाम 4:30 बजे नहर तिराहे पर वादी के भाई पर विपक्षीगणों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया। बचाव में पहुँचे वादी, व वादी के परिजनों को भी मारा-पीटा गया, जिससे सभी को चोटें आई। शोर होने पर ग्रामीण पहुँचे तो आरोपी गाली देते हुए धमकी देकर भाग गये थे। इस संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 336/2025 धारा 3(5)/115(2)/109(1)/352/351 (3) बीएनएस बनाम 07 नामजद व 02-03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह म0उ0नि0 ज्योति सविता, का0 कृष्ण बिहारी राय, का0 सुनील कुमार, म0का0 रितु सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 336/2025 धारा 3(5)/115(2)/109(1)/352/351(3) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्ता को थाना पट्टी क्षेत्रातंर्गत ग्राम पेन्डरा घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार 02 अभियुक्ता का विवरण-

1. निशा बेगम पत्नी वसीम नि0 पेन्डरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
2. नेहा खान पत्नी लईक खान निवासी ग्राम पेन्डरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह म0उ0नि0 ज्योति सविता, का0 कृष्ण बिहारी राय, का0 सुनील कुमार, म0का0 रितु सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।